रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 1973/आषाढ़ 20, 1895
No. 254] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 1973/ASADHA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 11th July 1973

S.O. 391(E)/15/IDRA/73.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Vijay Manufacturing Pvt. Ltd., Badnera (Maharashtra), for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

(1) Shri I. B. Dass Gupta, 168-F, Dr. Baba Saheb Ambedkar Road, Bombay-14.

Members

(2) Shri D. R. Naik, Director, Maharashtra State Textile Corporation Ltd.
(3) Shri V. K. Modi, Regional Controller, National Textile Corporation, Bombay.
(4) Shri R. C. Nigam, D.D.I., 100, Marine Drive, Everest, Bombay.

Member-Secretary

(5) Shri V. N. Moralwar, Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay.

[No. F. CUC/3/8/73.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 जुलाई 1973

का० आ० 391(अ)/15/आई डी आर ए/73.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि विजय मैन्युफैक्चरिंग प्रा० लि०, बडनेरा, (महाराष्ट्र) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है जिसके लिए विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा संपूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है:—

(1)	श्री आई० बी० दास गुप्त, 168–एफ, डा० बाबा साहेब आम्बेडकर रोड, बम्बई–14 ।	अध्यक्ष
(2)	श्री डी० आर० नाईक, निदेशक, महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम लि० ।	सदस्य
(3)	श्री बी० के० मोदी, क्षेत्रीय नियंत्रक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, बम्बई ।	सदस्य
(4)	श्री आर० सी० निगम; डी० डी० आई० ई; 100, मैरीन ड्राइव; एवरेस्ट, बम्बई ।	सदस्य
(5)	श्री वी० एन० मोरालवर, निदेशक, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई ।	सदस्य सचिव

[सं० सी० यू० सी०/3/8/73

दिनेश किशोर सक्सेना
संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973